संख्या–181643 /XXIV-C-2/2024–20(2)21

प्रेषक,

डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 11 जनवरी, 2024

विषयः–वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजकीय महाविद्यालयों में महिला छात्रावास भवन निर्माण कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्रांक–डिग्री विकास/विविध/5718/2023–24, दिनांक 01.01.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 में उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत निम्न तालिका में उल्लिखित राजकीय महाविद्यालयों के महिला छात्रावास भवन निर्माण कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु तालिका के स्तम्भ–6 के अनुसार कुल **₹325.05 लाख (रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख पांच हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए इतनी ही धनराशि व्यय हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

(धनराशि रूपये लाख में)

क्रं सं	योजना का नाम	अनुमोदित धनराशि	अवमुक्त धनराशि	अवशेष धनराशि	वर्तमान में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में महिला छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	415.84	166.33	249.51	166.33
2	राजकीय महाविद्यालय, जखोली (रूद्रप्रयाग) में महिला छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	365.94	292.74	73.20	73.20
3	राजकीय महाविद्यालय, बलुवाकोट (पिथौरागढ) में महिला छात्रावास भवन निर्माण कार्य।	427.58	342.06	85.52	85.52
	योग	**1209.36**	**801.13**	**408.23**	**325.05**

(रूपये तीन करोड़ पच्चीस लाख पाँच हजार मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि को उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में व्यय

नहीं किया जायेगा तथा अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति की प्रत्याशा में कोई अन्य व्यय नहीं किया जायेगा एवं समय–समय पर निर्गत वित्तीय एवं मित्तव्ययता सम्बन्धी नियमों एवं दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा करने के उपरान्त एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित निर्माण इकाई को अवमुक्त की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि धनराशि अनावश्यक रूप से बैंकों में पार्किंग के रूप में न रखी जाय तथा स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2024 तक पूर्ण उपयोग करते हुए उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शेड्यूल आफ रेट्स में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता से अनुमोदन करना आवश्यक होगा।
3. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित कराया जाय।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाय जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
5. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
6. विस्तृत आंगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
7. स्वीकृत विस्तृत आंगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आंगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
8. स्वीकृत धनराशि के उपयोग के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अवमुक्त की गयी धनराशि का उपभोग शीघ्रता से करने के लिये प्राचार्य द्वारा समुचित पर्यवेक्षण किया जायेगा एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 571/XXVII(1)/2011 दिनांक 19.10.2010 के आलोक में समयबद्धता के आधार पर स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय/भौतिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
9. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानकों एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (यथासंशोधित), 2017 का कड़ाई से पालन किया जाय।
10. मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XiV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
11. तृतीय पक्ष गुणवत्ता (Third party quality) सुपरविजन तथा अनुश्रवण की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाय, परन्तु निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण की जानी होंगी। इसका व्यय कार्यदायी संस्था को देय चार्जेज

(Centage) से किया जायेगा। किये गये निर्माण कार्य की गुणवत्ता का निरीक्षण सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय। उक्त रिपोर्ट से शासन को अवगत कराया जाय।

12. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 475/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कार्य के निष्पादन हेतु एक समय सारिणी निर्धारित की जायेगी तथा कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा। विलम्ब अथवा अन्य किसी भी कारणों से आंगणन का पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं किया जायेगा।
13. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 3881/PS-CS/2023, दिनांक 20 जुलाई, 2023 द्वारा शासकीय कार्यालयों में विद्युत सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उक्त कार्यवाही विभाग के मानकों के अनुसार अथवा प्रत्येक तीन माह में अथवा आवश्यकतानुसार दोहराई जानी सुनिश्चित की जाय।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 11 में पूंजीगत पक्ष के अधीन लेखाशीर्षक 4202–शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–01–सामान्य शिक्षा–203–विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा–03–कतिपय राजकीय महाविद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना–53–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3 – यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 111469/09(150) 2019/XXVII(1)/2023, दिनांक 31 मार्च, 2023 द्वारा प्रदत्त प्राधिकार के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

Signed by Ashish Kumar Srivastava
Date: 11-01-2024 16:45:47

(डॉ0 आशीष कुमार श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

संख्या :181643 (1)/ XXIV-C-2/2024–20(2)21 तददिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, कौलागढ रोड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, गढवाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

5. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
6. सम्बन्धित प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
8. वित्त अनु0–3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, कार्यदायी संस्थाद्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Signed by Deepak Kumar
Date: 11-01-2024 17:46:04

(दीपक कुमार)
अनु सचिव।

IFMS Uttarakhand
उत्तराखण्ड सरकार

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2023 - 2024)

Secretary-Secretary, Higher Education(S018)

HOD-Director Higher Education(4566)

आवंटन पत्र संख्या -181643/XXIV-C-2/2024-20(2)21
अनुदान संख्या -011

आवंटन आई डी-S24010110017
आवंटन पत्र दिनांक-11-JAN-2024

लेखा शीर्षक	4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	01-सामान्य शिक्षा
	203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	03-कतिपय राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना /नये भवन निर्माण
	00- राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना/ नये भवन निर्माण	Voted

4	2	0	2	0	1	2	0	3	0	3	0	0

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
53-वृहद निर्माण	297058200	32505000	0	329563200
योग	297058200	32505000	0	329563200

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.3,25,05,000 (Rupees Three Crores Twenty Five Lacs Five Thousand Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER